159

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक सी. 3–2/2013/3/एक   भोपाल, दिनांक 24 अप्रेल, 2013

प्रति,

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश।

विषयः– विभागीय पदोन्नति समिति की बैठके वर्ष में दो बार आयोजित करने बावत्।

संदर्भः– इस विभाग का समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक सी. 3–18/2001/3/1, दिनांक 12.6.2002 एवं परिपत्र क्रमांक सी.3–7/2002/3/1, दिनांक 6.7.2002, परिपत्र क्रमांक सी. 3–16/2009/1/3, दिनांक 10.11.2009 तथा परिपत्र क्रमांक सी. 3–2/2013/1/3, दिनांक 2 फरवरी, 2013.

———

शासकीय सेवकों की पदोन्नति के लिए सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा संदर्भित अधिसूचना द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 अधिसूचित किया गया है। इस नियम के तहत उसके अनुगामी निर्देश दिनांक 6 जुलाई,2002 के नियम–6(4) में विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें आयोजित किये जाने का प्रावधान है। पदोन्नति समिति की बैठकें समय पर आयोजित किये जाने के संबंध में इस विभाग के संदर्भित परिपत्रों द्वारा समय–समय पर निर्देश जारी किये गये हैं।

2/ सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी.3–2/2013/1/3, दिनांक 2 फरवरी, 2013 द्वारा विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक प्रत्येक वर्ष के माह फरवरी के अंत तक अनिवार्य रूप से किये जाने के निर्देश जारी किये गये हैं। शासन द्वारा अब यह निर्णय लिया गया है कि विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें प्रत्येक वर्ष में दो बार आयोजित की जाए। विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक वर्ष के प्रारंभ में यथाशीघ्र माह जनवरी–फरवरी में आयोजित कर ली जाए। पदोन्नति समिति की इस बैठक के बाद भी उस वर्ष के, जिस वर्ष के लिये विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित की गई है, यदि पद रिक्त रहते हैं या उसी वर्ष में पद निर्मित/उद्भूत होते हैं, तो ऐसे पदों की पूर्ति हेतु पुनः पदोन्नति समिति की दूसरी बैठक माह अगस्त–सितम्बर में आयोजित की जायेगी।

3/ अतः पदोन्नति समिति की बैठकें प्रत्येक वर्ष में दो बार निर्धारित समय पर अनिवार्य रूप से आयोजित की जाना सुनिश्चित किया जाए।

4/ कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए।

(आर.के.गजभिये)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक सी. 3–2/2013/3/एक भोपाल, दिनांक 24 अप्रेल, 2013

प्रतिलिपि–

1. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर।
2. सचिव, लोकायुक्त जनरल, मध्यप्रदेश, भोपाल।
3. चिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर।
4. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश, भोपाल।
5. राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश राजभवन, भोपाल।
6. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल।
7. प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
8. मंत्री/राज्यमंत्रीगण के निज सचिव/निज सहायक, मध्यप्रदेश, भोपाल।
9. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल।
10. सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल।
11. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल।
12. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर/ग्वालियर/जबलपुर।
13. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल।
14. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव/सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
15. उप सचिव/अवर सचिव, स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल।
16. मुख्य सचिव के अपर सचिव, मंत्रालय, भोपाल।
17. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
18. सचिव, मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग निर्वाचन भवन, द्वितीय मंजिल, भोपाल।
19. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति, भोपाल।
20. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, भोपाल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(आर.के.गजभिये)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग